प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध अपील क्रमांक 1147 / 2005

रमेश कुमार जैन, पिता स्वर्गीय श्री हीरालाल जैन, उम्र लगभग 49 वर्ष, निवासी पुलगांव नाका दुर्ग, व्यवसाय आर. के. ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम से व्यवसाय (एकल स्वामित्व)।

– अपीलार्थी

बनाम

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

"मैसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड", एक कंपनी, अपने अध्यक्ष के माध्यम से, एल्युमिनियम भवन, कोरबा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़

– प्रत्यर्थी

अपीलार्थी की ओर से : श्री आनंद कुमार तिवारी, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से : श्री अभिषेक सिंह, अधिवक्ता

एकल पीठ

माननीय न्यायमूर्ति श्री विजय कुमार श्रीवास्तव

आदेश

(दिनांक 12 जनवरी, 2006 को पारित)

1. यह अपील अपीलार्थी द्वारा मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में '1996 का अधिनियम') की धारा 37 के अंतर्गत जिला कोरबा के जिला न्यायाधीश द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 8–ए/2005 में दिनांक 07–09–2005 को पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें अपीलार्थी द्वारा उक्त अधिनियम कि धारा 9 के तहत आवेदन दायर कर प्रत्यर्थी को उनकी छोड़ी गई सामग्री उठाने और संयुक्त मापन के बिना खनन के विकसित स्तरों

में हस्तक्षेप करने से रोकने हेतु निषेधाज्ञा की प्रार्थना की थी, जिसे खारिज कर दिया गया।"

2. अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के साथ मैनपाट खानों में बॉक्साइट खनन और इसे बालको संयंत्र, कोरबा तक परिवहन हेतु एक अनुबंध निष्पादित किया था। अनुबंध कि अवधि तीन वर्ष थी, जो दिनांक 01–04–2002 से प्रारंभ होकर दिनांक 31–03–2005 को समाप्त हुई। तथापि अनुबंध को दिनांक 30–06–2005 तक विस्तारित किया गया। उक्त अनुबंध में मध्यस्था उपबंध अंतर्निहित है। अपीलार्थी ने अनुबंध की शर्तों और नियमों के अनुरूप कार्य निषपादित किया। प्रत्यर्थी ने दिनांक 25–06–2005 के पत्राचार द्वारा अपीलार्थी को मैनपार्ट में गतिविधियों के समापन और दिनांक 01–07–2005 को स्थान हस्तांतरण हेतु अपने खान प्रबंधक से संपर्क करने का निर्देश दिया। अपीलार्थी ने दिनांक 29–06–2005 के पत्राचार द्वारा प्रत्यर्थी को सूचित किया कि खनन कि विभिन्न स्तरों में उसकी सामग्री शेष है, अतः संयुक्त मापन के लिए प्रार्थना किया । प्रत्यर्थी ने संयुक्त मापन कि प्रार्थना पर सहमति व्यक्त की और संयुक्त मापन दिनांक 26–07–2005 से दिनांक 01–08–2005 तक सम्पन्न हुआ, किन्तु भारी वर्षा के कारण यह कार्य रुक गया और दिनांक 10–08–2005 से पुनः प्रारंभ करने पर दोनों पक्षकारों द्वारा सहमति हुई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपीलार्थी द्वारा अनेक पत्र जारी करने के बावजूद, प्रत्यर्थी ने संयुक्त मापन को पुनः प्रारंभ नहीं किया। दिनांक 21–08–2005 से प्रत्यर्थी ने बिना संयुक्त मापन के अपीलार्थी द्वारा छोड़ी गई सामग्री को उठाना प्रारंभ किया और इसे नए ठेकेदार को सौंप दिया। अतः अपीलार्थी द्वारा छोड़े गए खनन के विकसित स्तरों को स्वेच्छाचारी रूप से नए ठेकदार को सौंप दिया। अतः अपीलार्थी द्वारा छोड़े गए कार्य की वास्तविक माप जानने हेतु, जो मध्यस्थता में विवाद का विषय होगा, अपीलार्थी ने अधिनियम की धारा 9 के तहत उपाय हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें प्रत्यर्थी को खानों में छोड़ी गई सामग्री उठाने से रोकने हेतु निषेधाज्ञा की प्रार्थना की गई।

4. प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के दावे का खंडन किया और तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी ने सतत रूप से पत्राचार को स्वीकार करने और प्रत्युत्तर देने में असहयोग प्रदर्शित किया । पर्याप्त समय प्रदान किए जाने के बावजूद अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्यर्थी ने विवादित ठेका कार्य अन्य ठेकेदार को प्रदान कर दिया । अपीलार्थी को दिनांक 30–06–2005 तक कार्य समापन और दिनांक 01–07–2005 से खान स्थान हस्तांतरण करना था । अपीलार्थी ने संयुक्त मापन में सहयोग नहीं किया । अपीलार्थी को उचित सूचना देकर, भारतीय खान ब्यूरो को मापन

कार्य हेतु नियुक्त किया गया । और इस सरकारी संगठन नें स्थान पर सर्वेक्षण संमपन्न किया, इसे पूर्ण किया और अपनी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उक्त प्रतिवेदन की प्रति अपीलार्थी को फैक्स द्वारा प्रेषित की गई । अपीलार्थी द्वारा छोड़ी गई सामग्री को लोड करने के समय, दिनांक 21–08–2005 के पत्राचार द्वारा अपीलार्थी को अपने प्रतिनिधि को उपस्थित रखने हेतु सूचित भी किया गया ताकि संयंत्र में बॉक्साइट की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रह सके और कार्य में व्यवधान न हो । भारतीय खान ब्यूरो द्वारा सर्वेक्षण दिनांक 25–08–2005 तक पूर्ण हो गया और इसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा छोड़ी गई सामग्री को प्रत्यर्थी के रिफाइनरी में ले जाया गया । अब स्थान को नए ठेकेदार को कार्य हेतु आवंटित कर दिया गया है ।

5. माननीय जिला न्यायाधीश ने वाद के तथ्यात्मक पहलुओं, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी द्वारा किए गए विभीन पत्राचारों पर विचार–विमर्श किया और निर्णीत किया कि अपीलार्थी को प्रदान किया गया अनुबंध दिनांक 30–06–2005 को समाप्त हो गया था और अपीलार्थी के सहयोग न करने के कारण मापन का कार्य भारतीय खान ब्यूरो, नागपूर द्वारा संचालित किया गया । अतः अंतरिम अनुतोष हेतु अपीलार्थी द्वारा दिनांक 30–08–2005 को प्रस्तुत आवेदन को तत्काल दाखिल किया गया ऐसा नहीं माना जा सकता । जिला न्यायाधीश ने यह भी निर्णीत किया कि अपूरणीय क्षति और सुविधा का संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में नहीं है, अतः आक्षेपित आदेश के माध्यम से आवेदन खारिज कर दिया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया ।

7. यह निर्विवाद है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को ठेका विधिवत अनुबंध निष्पादन के पश्चयात प्रदान किया गया था और उस अनुबंध में मध्यस्थता उपबंध अंतर्निहित है । अतः उक्त अधिनियम कि धारा 9 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार का उपयोग करने हेतु, कोई भी पक्ष मध्यस्थता कार्यवाही से पूर्व या उसके दौरान अथवा मध्यस्थता अधिनिर्णय के पश्चयात किसी भी समय अंतरिम अनुतोष हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है और न्यायालय को विवादित संपत्ति के संबंध में अंतरिम सुरक्षात्मक उपाय के आदेश पारित करने का अधिकार प्राप्त है । अपीलार्थी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने का दायरा सिमित है और न्यायालय को केवल यह विचार करना है कि विवाद के विषय से संबंधित किसी पक्ष के हितों कि रक्षा हेतु अंतरिम उपाय की आवश्यकता है या नहीं और यदि आवश्यक हो तो उसे तदनुसार प्रदान करे ।

8. वर्तमान प्रकरण में, अपीलार्थी को दिनांक 01–07–2005 को खानों का कब्जा प्रत्यर्थी को सौपना था, और दोनों पक्षों के हित में यह भी आवश्यक था

कि स्थान पर अपीलार्थी कि शेष संपत्ति का समुचित और सटीक मापन किया जाए । यह निर्विवाद है कि अनुबंध किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान कर दिया गया है । दोनों पक्षों द्वारा अभिलेख और पत्राचारों से यह दर्शित है कि प्रारंभ में संयुक्त मापन कार्य सम्पन्न हुआ, किन्तु दिनांक 10–08–2005 के पश्चयात इसे पुनः प्रारंभ नहीं किया गया । प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को लिखे गए पत्र क्रमांक 564, दिनांक 17/18–08–2005 से अपीलार्थी के संयुक्त मापन के प्रति असहयोग का संकेत मिलता है । प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 21–08–2005 को जारी पत्र से स्पष्ट है कि स्थान पर पड़ी बॉक्साइट को उठाने का कार्य किया जाना है, अतः इसके गवाही के रूप में अपीलार्थी अपने प्रतिनिधि को उपस्थित रख सकता है, किन्तु अपीलार्थी के कार्यालय में उपस्थित कर्मचारी ने यह पत्र स्वीकार नहीं किया । दिनांक 23–08–2005 का एक पत्र भी अभिलेख में है, जो यह दर्शाता है कि भारतीय खान ब्यूरो, नागपूर के व्यक्ति सर्वेक्षण हेतु आए थे, अतः अपीलार्थी अपने प्रतिनिधि को नियुक्त कर सकता है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. यह भी प्रदर्शित किया गया कि उपरोक्त पत्र अपीलार्थी के कर्मचारी द्वारा ग्रहण नहीं किया गया । अभिलेख से यह दर्शित है कि दिनांक 25–08–2005 तक भारतीय खान ब्यूरो, नागपूर का सर्वेक्षण और मापन कार्य पूर्ण कर लिया और प्रत्यर्थी को प्रतिवेदन सौंप दिया । संभावना कि प्रबलता के सिद्धांत पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जब प्रत्यर्थी ने दिनांक 21–08–2005 से, स्थान से सामग्री उठाना प्रारंभ किया, तो इसे अल्प समय में पूर्ण कर लिया होगा । यह प्रत्यक्ष है कि अनुबंध दिनांक 30–06–2005 को समाप्त हो गया था । अपीलार्थी द्वारा स्थान पर छोड़ी गई सामग्री का सर्वेक्षण और मापन केंद्र सरकार कि एक एजेंसी, अर्थात भारतीय खान ब्यूरो , द्वारा किया गया और अपीलार्थी द्वारा छोड़ी गई सामग्री को स्थान से संयंत्र में ले जाया गया और स्थान को नए ठेकेदार को कार्य हेतु आवंटित कर दिया गया । अतः इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखने हुए , पक्षों के हितों की रक्षा हेतु कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता था। अतः जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में कोई हस्ताक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं ।

10. उपरोक्त के प्रकाश में, अपील खारिज करने योग्य है और तदनुसार खारिज की जाती है ।

हस्ताक्षर/–
विजय कुमार श्रीवास्तव
न्यायाधीश
12-01-2006

अस्वीकरणः

हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By: सुमन श्रीवास्तव

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur